# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)
## पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2025
जीसीएमएस नं. : 2025/4

**प्रार्थी :–**

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,
जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

**बनाम**

**अप्रार्थी :–**

श्री प्रभुलाल कलाल पिता देवा कलाल, प्रोपराईटर
विमल रेस्टोरेंट कटुम्बी, बांसवाडा (राजस्थान)

## निर्णय
### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

**दिनांक :– 28–02–2025**

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 07.10.2024 द्वारा दिये गये निर्देशो के तहत दिनांक 06.12.2024 को कटुम्बी स्थित विमल रेस्टोरेंट की जांच उसके प्रोपराईटर श्री प्रभुलाल कलाल की उपस्थिति में श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

| क्र. स. | नाम ऑयल कम्पनी | सिलेंडर का एस. आर. नम्बर | कुल वजन किग्रा. में | खाली सिलेण्डर वजन | गैस का वजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भारत गैस | 528047 S | 22.500 | 15.900 | 6.600 |

श्री प्रभुलाल कलाल द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.01 10:48:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सानिया भारत गैस, छोटी सरवन के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मानसिंह मईडा/ शम्भू मईडा को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 05.02.2025 को अप्रार्थी की ओर से श्री ललीत पाटीदार अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 28.02.2025 को अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि व्यवसायिक टंकी अचानक समाप्त हो जाने के कारण अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर की टकी अस्थायी तौर पर व्यवसायिक उपयोग में ली गई। उक्त घरेलु सिलेण्डर को जप्त सरकार किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। बहस के दौरान अप्रार्थी द्वारा जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराया।

विभागीय प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 06.12.2024 को कटुम्बी स्थित विमल रेस्टोरेंट की जांच उसके प्रोपराईटर श्री प्रभुलाल कलाल की उपस्थिति में श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री प्रभुलाल कलाल द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लधंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सानिया भारत गैस, छोटी सरवन के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मानसिंह मईडा/ शम्भू मईडा को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.01 10:38:19 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण करना पाया गया है।

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 28–02–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.01 10:38:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner